न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 52/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र सुशील कुमार शर्मा, उम्र 40 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स उपाध्याय मिल्क फूड, भीतरवाडी, गांधी चौक, बयाना जिला भरतपुर निवासी भीतरवाडी, गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर।
2. प्रमोद पुत्र सुशील कुमार शर्मा (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) मैसर्स उपाध्याय मिल्क फूड, भीतरवाडी, गांधी चौक, बयाना जिला भरतपुर निवासी भीतरवाडी, गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.10.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 03.09.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.10.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 06.04.2021 को प्रातः 11.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स उपाध्याय मिल्क फूड, निवासी भीतरवाडी, गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर। जिला भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आमजन को विक्रय हेतु प्लास्टिक के एक ड्रम में रखी 60 किग्रा0 क्रीम (मिडियम फैट) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/364/एक्ट/2021/541 दिनांक 05.05.2021 द्वारा उक्त क्रीम (मिडियम फैट) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (**Substandard Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (**Substandard Food**) प्रकृति का क्रीम (मिडियम फैट) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स उपाध्याय मिल्क फूड, भीतरवाडी, गांधी चौक, बयाना जिला भरतपुर से क्रीम (मिडियम फैट) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (**Sabstandard Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त क्रीम (मिडियम फैट) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त क्रीम (मिडियम फैट) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 06.04.2021 को प्रातः 11.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

के विक्रय हेतु क्रीम (मिडियम फैट) करीब 60 किग्रा0 रखी हुई पाई गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/364/एक्ट/2021/541 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा उक्त क्रीम (मिडियम फैट) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (**Sabstandard Food**) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **Cream Fat%** का मानक **Not less than 40% Not More than 60.0%** होना चाहिये था परन्तु इसका मानक **64.0%** पाया गया जो निर्धारित मानक से अधिक है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/—रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)